प्रस्तावना के सिद्धान्त

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान का उद्देश्य तथा मूल सिद्धान्त का विवरण निम्न प्रकार है —

(i) शासन की अन्तिम सत्ता जनता में निहित — प्रस्तावना में स्पष्ट है कि शासन की अन्तिम सत्ता जनता में निहित होगी। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजेगी और वे ही कानून बनायेंगे तथा शासन का संचालन करेंगे। डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था, "मैं समझता हूँ कि यह प्रस्तावना इस सभा के प्रत्येक सदस्य की इच्छानुसार यह स्पष्ट कर देती है कि इस संविधान का आधार जनता है तथा इसमें निहित अधिकार और प्रभुसत्ता सब जनता से ही प्राप्त हुई है।"

(ii) जनता द्वारा संविधान का निर्माण — संविधान का निर्माण जनता ने किया है तथा इसको स्वीकृति प्रदान की है संविधान की प्रस्तावना में यह सिद्धान्त निहित है संविधान सभा का निर्वाचन जनता ने किया था। अतः अप्रत्यक्ष रूप से संविधान जनता द्वारा ही निर्मित माना जायेगा।

(iii) प्रभुत्वसम्पन्न राज्य की स्थापना — संविधान की प्रस्तावना में यह सिद्धान्त निहित है कि भारत में पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न राज्य की स्थापना की गयी है। पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न का अर्थ है कि भारत पूरी तरह से स्वतंत्र है। किसी बाहरी राज्य का दबाव नहीं है।

(iv) लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना — संविधान की प्रस्तावना में निहित है कि भारत एक लोकतंत्र राज्य है। इसमें शासन की सत्ता जनता में निहित होगी, जनता इसका प्रयोग अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा करेगी, जनता मत के आधार पर अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करेगी।

Scanned with CamScanner

(v) गणराज्य की स्थापना —
— संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य की स्थापना का संकल्प व्यक्त किया गया है। गणराज्य का तात्पर्य ऐसे राज्यों से है जिसमें शासन का प्रधान आनुवंशिक न होकर जनता द्वारा निर्वाचित हो।

(vi) धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना —
— संविधान की प्रस्तावना में 42 वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है। जो सभी धर्मों को मान्यता देता है इनको समान सम्मान देता हो तथा सभी धर्मों के विकास का समान अवसर देता हो।

(vii) समाजवादी राज्य की स्थापना —
— संविधान की प्रस्तावना में 42 वें संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। समाजवाद एक समाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था है। जिसके अन्तर्गत उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर पूरे समाज का अधिकार होता है और उनका उपयोग समाज कल्याण के लिए किया जाता है।

Scanned with CamScanner

Dr. Khushboo kumari political science

iii) सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकार — संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट है कि भारत की जनता को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अधिकार प्रदान किये गये हैं।

iv) राष्ट्रीय एकता तथा अखण्डता की रक्षा — संविधान की प्रस्तावना में यह भी वृहद निर्धारित किया गया है कि भारत की राष्ट्रीय एकता तथा अखण्डता को हर कीमत पर बनाये रखा जायेगा।

Scanned with CamScanner